पत्रांकः–15 / डी0 एल0 ए0–कैमूर (संपर्क सड़क)–01 / 12........2653........ / रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रपत्र– 17

वापसी अधिसूचना

दि0-20-11-13

सा0 15 / डी0एल0ए0, कैमूर (सम्पर्क सड़क) 01 / 12, 2097 / रा0 पटना दिनांक 17.09.12 भू–अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 48 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम कोलउज, परगना चैनपुर, थाना नं0 516, थाना– भभुआ, जिला कैमूर से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए कुल रकबा 0.12 एकड़ भूमि अर्जित एवं अधिघोषित किया गया है। जिसका जिला गजट के असाधारण अंक सं0 36 दिनांक 17.10.12 में प्रकाशित हुआ है। उपरोक्त अर्जित भूमि के संबंध में अंचलाधिकारी, भभुआ द्वारा अपना पत्रांक 808 दिनांक 24.05.13 द्वारा सूचित किये है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सा0 चांदोरूईयां गांव तक सड़क का निर्माण होने से हरिजन बस्ती भी जुड़ जायेगी। ऐसी स्थिति में भूमि अर्जन की आवश्यकता नही है। मुक्त किये गये भूमि का विवरणी निम्नवत् हैः– खेसरा सं0–466, 467

अतः अंचलाधिकारी, भभुआ, अनुरोध के आलोक में अधिघोषणा सं0 / डी0एल0ए0 पटना 01 / 12, 2122 / रा0 पटना दिनांक 18.09.12 द्वारा अधियाचितअर्जित रकबा 0.12 एकड़ भू–अर्जन से वापस लिया जाता है। इसे सार्वजनिक के जानकारी के लिए दो दैनिक समाचार पत्र एवं जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के अवर सचिव

(ह0) 06.06.13	(ह0)	(ह0) 11/6/13
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी कैमूर (भभुआ)	अपर समाहर्त्ता कैमूर (भभुआ)	समाहर्त्ता कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक...2653.... / **डी0एल0ए0,** **दिनांक**...20-11-13

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्कारण को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, **कैमूर** एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

प्रतिलिपिः– उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, **कैमूर (भभुआ)** को जिला बजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित बजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, **कैमूर (भभुआ)** को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियों में भेजने के लिये।

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, **कैमूर (भभुआ)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह0) 13/11/13
सरकार के अवर सचिव

भू0अ0–03.06.13